न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

28 / 2023

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र रामशरण खंगार निवासी वार्ड 6 चारभुजा मन्दिर के पास निवाई जिला टोंक राज0

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 9.10.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.04.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1 पत्रावली केसर बनाम कजोड जाति खंगार कस्बा निवाई (इजरा उनवानी) आदेश उपखण्ड अधिकारी निवाई दिनांक 15.06.2018 इजरा संख्या 01 / 2016 को राजस्व मण्डल अजमेर भेजी गई है या नही। यदि भेज दी गई तो D.No. व दिनांक, नही भेजी है तो कारण अवगत करावे।

2 पत्रावली RAA टोंक भेज दी गई तो D.No. व दिनांक अवगत करावे, टोंक से पुनः प्राप्त हुई है तो आमद नं. व दिनांक अवगत करावे। प्राप्त नही हुई है तो सूचना तत्काल अवगत करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को पत्र कमांक 749 दिनाक 08.08.2023 व 842 दिनांक 24.08.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई ने पत्र कमांक सूचना का अधिकार / 2023 / 7046 दिनांक 25.08.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 2788 दिनांक 23.05.2023 व 5887 दिनांक 07.06.2023 से उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर
टोंक